न्यायालय : अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 1138 / 2014
सीआइएस 815.18

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 21.12.2023 वाद पुकारा गया। मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 12.05.2022 के अन्तर्गत कहा गया है कि वादीगण द्वारा कुछ कागजात पूर्व में दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज है जिन्हें प्रदर्श अंकित करने की आवश्यकता है मामले में अंचल कार्यालय अरेराज द्वारा जारी पत्रांक 454 दिनांक 29.12.2014 का मूलप्रति, वाद सं0 02 / 13–14 में एलआरडीसी द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रमाणित प्रति, असल रैंट रोल केस न0 01 / 89–90 की प्रति सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं अतः उन्हें प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि मामले में वादी के आवेदन में वर्णित क्रमांक 01 और क्रमांक 03 लोक दस्तावेज नहीं हैं अतः उन्हें प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु बहुत सारे लोक दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किये गये हैं । मामले के सम्यक निस्तारण हेतु दस्तावेजों का प्रदर्श अंकित करना आवश्यक है । मामले में वाद सं0 02 / 13–14 में एलआरडीसी द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रमाणित प्रति लोक दस्तावेज हैं उसे प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है अन्य दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं हैं अतः आवेदन पत्र के क्रमांक एक और तीन को दस्तावेज के रूप में प्रदर्श अंकित करने की इजाजत नहीं दी जाती है। मामले में कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह लोक दस्तावेज पर प्रदर्श संख्या अंकित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वाद दिनांक .....वास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)